

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : rmsc@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ04() / आर.एम.एस.सी. / विशेषाधिकारी / संस्था / 2016 / 1858

दिनांक: 04 05 2016

विज्ञप्ति

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में अनुबन्ध के आधार पर राजस्थान सरकार/भारत सरकार के किसी राजकीय उपक्रम से सहायक विधि सलाहकार/उप विधि सलाहकार स्तर के कार्य करने के अनुभवी को संविदा आधार पर पुर्ननियुक्ति हेतु राज्य सरकार के वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.12(6)एफडी(रूल्स)/2009 जयपुर दिनांक 01.12.2015 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.17(10)डीओपी/ए-॥/94 जयपुर दिनांक 26.05.2014 के प्रावधानों के अनुसार एक पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त किये जाने पर विचार किया जावेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, सेवा नियम एवं शर्तें मय कार्य विवरण (TOR) निगम की वेब साईट www.rmsc.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.05.2016 है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

निगम में विधि सलाहकार की सेवायें लिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या दिनांक में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर :
दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी
के हस्ताक्षर

ANNEXURE-A

TERMS OF REFERENCE & SCOPE OF SERVICES EXTERNAL CONSULTANT (LAW)

1. To advise on legal matter's in RMSC.
2. To check the terms & condition of the tender with legal aspect.
3. To attend court cases.
4. To consult concerned executive director for factual statement for filing the reply in the concern court.
5. To vet any legal document.
6. To file caveat.
7. Getting reply prepared after consulting Government advocate/panel lawyer.
8. Getting the court stay vacated after consulting Government advocate/panel lawyer.
9. Filing appeal in the higher court if required.
10. Maintain legal records so that references may be found out quickly.
11. Any other related assignment, in the larger interest of Corporation.